राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः–प.1(79)नविवि/जयपुर/2018 जयपुर, दिनांकः 5 OCT 2018

आदेश

विभागीय आदेश कमांक प.2(18)नविवि/5/2009 पार्ट–VIII दिनांक 23.04.2018 से अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के अन्तर्गत ऐसे आवंटी जिनकी बकाया राशि 5000/– रूपये तक थी, उनमें बकाया राशि जमा करते हुए प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय द्वारा निरस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की जावें। यह कार्यवाही एक माह में की जानी थी, जो समाप्त हो चुकी है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के अन्तर्गत आवंटियों मे से कुछ आवंटियों की समय पर सूचना नहीं मिलने के कारण आंशिक राशि जमा होने से शेष रह गई है। अधिकांश मामलों में बकाया राशि 5 प्रतिशत तक है। इन आवंटियों में से अधिकांश ने विभिन्न बैंकों/संस्थाओं से आवास ऋण लेकर राशि जमा कराई है तथा ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा ऋण पर प्रतिमाह किश्त की वसूली की जा रही है। ऐसी स्थिति में इन आवंटियों के आवास निरस्त किये जाने की स्थिति में आवंटी द्वारा जमा कराई गई राशि में से नियमानुसार 10 प्रतिशत राशि की कटौती कर शेष राशि का भुगतान जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटी को किये जाने पर ऐसे आवंटियों पर अत्यधिक आर्थिक भार पडेगा। इस संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रेषित रिपोर्ट जिस से 1. मैसर्स मैजेस्टिक रियल मार्ट प्रा. लि. के कुल 34 प्रकरण 2. मैसर्स सिद्धी विनायक अफोर्डेबल होम्स प्रा. लि. के 40 प्रकरण 3. मैसर्स सिद्धा इन्फ्रा अफोर्डेबल हाउसिंग योजना का 1 प्रकरण 4. मैसर्स शिव शक्ति अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के कुल 4 प्रकरण बतलाये है जिनमें कुल जमा योग्य राशि का 5 प्रतिशत तक बकाया है।

उपरोक्त स्थिति के मध्यनजर जनहित में यह निर्णय लिया गया है कि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी–2009 के अन्तर्गत ऐसे आवंटी जिनकी बकाया राशि की 5 प्रतिशत तक है तथा आदेश जारी होने की तिथि से एक माह की अवधि में बकाया राशि संबंधित प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय में जमा कराते है तो प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय द्वारा आवास निरस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की जावें। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होग ।

राज्यपाल की आज्ञा से

5/10/18

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
8. संयुक्त शासन सचिव/प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
9. मुख्य नगर नियोजक/मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर.) राज. सरकार।
10. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त), राजस्थान।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

5/1/18

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम